भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2231

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र के धुले जिले में जल जीवन मिशन

2231. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जल उपचार संयंत्रों, मास्टर बैलेंसिंग जलाशयों (एमबीआर) तथा एलिवेटेड स्टोरेज रिज़र्वायर जैसे प्रमुख अवसंरचना घटकों के लिए भूमि की पहचान और कब्जे का कार्य निविदा जारी करने और कार्यों का आवंटन करने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2022 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत महाराष्ट्र के धुले जिले में स्वीकृत योजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें ठेकेदार का नाम, स्वीकृत लागत, स्वीकृत निविदा राशि तथा निर्धारित पूर्णता अवधि शामिल है;
(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान भौतिक और वित्तीय स्थिति क्या है तथा घटक-वार प्रगति तथा उपयोग की गई धनराशि कितनी है;
(घ) क्या इनमें से किसी परियोजना में ठेके दिए जाने या कार्य आरंभ होने के पश्चात प्रमुख घटकों के लिए स्थान या भूमि में परिवर्तन की मंजूरी दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे परिवर्तनों को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी क्या है; और
(ङ) क्या प्रक्रियागत खामियों की जांच के लिए कोई समीक्षा, तीसरे पक्ष का निरीक्षण, तकनीकी संपरीक्षा या कार्रवाई शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान

करने के लिए अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जल शोधन संयंत्रों, मास्टर बैलेंसिंग जलाशयों (एमबीआर) और एलिवेटेड स्टोरेज जलाशयों जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे के घटकों के लिए भूमि को चिह्नित करने और कब्जा हासिल करने का कार्य निविदा जारी करने और कार्यों के आवंटन से पहले पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत, भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करते हुए, सभी संबंधित ग्राम पंचायतों का संकल्प प्राप्त करके निविदा से पहले प्रमुख बुनियादी ढांचे के घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को चिह्नित किया गया था। जल शोधन संयंत्रों और मास्टर बैलेंसिंग जलाशयों के लिए अपेक्षित भूमि को चिह्नित और स्वामित्व की प्रक्रिया कार्यान्वयन एजेंसी (एमजेपी/जेडपी) द्वारा पूरी की जाती है। एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर (ईएसआर) के मामले में कार्य शुरू होने के समय भूमि का चिह्निन किया जाता है। हालांकि, कुछ गांवों में, स्थानीय आवश्यकताओं और स्थल उपयुक्तता के कारण संबंधित ग्राम पंचायतों के संकल्पों के आधार पर ईएसआर स्थानों को बाद में बदल दिया जाता है।

राज्य ने यह भी सूचना दी है कि वर्ष 2022 के दौरान जल जीवन मिशन के तहत धुले जिले में कुल 339 आरपीडब्ल्यूएस (एमजेपी द्वारा 11 योजनाएं और जिला परिषद द्वारा 328 योजनाएं) हैं। जेजेएम के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं/योजनाओं के सभी तकनीकी विवरण राज्य स्तर पर अनुरक्षित किए जाते हैं।

जेजेएम के तहत सभी कार्यों के लिए, भुगतान से पहले तृतीय पक्ष का निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक योजना में संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को सूचीबद्ध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों द्वारा पैनल में शामिल किए जाने वाले टीपीआईए के चयन और विचारार्थ विषयों (टीओआर) के मानदंड जेजेएम कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए हैं। टीपीआईए द्वारा की गई गुणवत्ता जांचों का ब्यौरा भी राज्य स्तर पर अनुरक्षित किए जाते हैं।

भारत सरकार ने डीओपीटी द्वारा नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ), राष्ट्रीय जेजेएम टीम और राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेजेएम योजनाओं की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने का कार्य शुरू किया है। इन दौरों में कार्यों की गुणवत्ता, योजनाओं की कार्यक्षमता, तकनीकी डिजाइन की उपयुक्तता, कार्यान्वयन प्रगति, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की प्रभावशीलता और शिकायत निवारण तंत्र सहित कई मापदंडों का आकलन किया गया। निष्कर्षों के अनुसरण में, इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे यथा आवश्यकता, समुचित प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करें और जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल के माध्यम से योजना-वार विस्तृत प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करें।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 154 शिकायतों में से 1 विभागीय अधिकारी और 5 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

*****